Serial No. | Hand | Date
383 — 20-07-2020

जिला न्यायधीश महोदय,
पीलीभीत।

दिनांकः– 20–07–2020

महोदय,

सादर! जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत के आदे"ा सं0–102/2020 दिनॉक 05–05–2020 एवं उस पर आपके पृष्ठॉकन दिनॉक 06–05–2020 जिसके द्वारा जनपद न्यायाधीश, महोदय ने माननीय न्यायालय में प्रवे"ा करने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन थर्मल स्केनिंग चेकअप कराये जाने एवं दिनॉक 07–05–2020 को सॉय 05:00 बजे तक माननीय न्यायालय परिसर,न्यायालय कक्ष एवं बिश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ–सफाई ,सेनेटाइजशन का कार्य सम्पादित कराने तथा उक्त कार्य प्रतिदिन सम्पादित कराये जाने तथा दिनॉक 08–05–2020 से प्रत्येक दिन सॉय 04:00 बजे जनपद पीलीभीत में कोरोना के खतरे एवं स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के आदे"ा निर्गत किये गये हैं।

जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा निर्गत उक्त आदे"ों के कम में **आख्या** निम्नवत आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है:–

कोरोना–19 से सम्बन्धित आख्या

माननीय न्यायालय में प्रवे"ा करने वाले व्यक्तियों के थर्मल स्केनिंग की संख्या	माननीय न्यायालय परिसर,न्यायालय कक्ष एवं बिश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ–सफाई सेनेटाइजे"न का कार्य	जनपद पीलीभीत में अब तक कुल कितने कोविड–19 के सैम्पल हुये	कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या	कोविड–19 के सकिय केसेस	कोविड–19 के रिकवर्ड केसेस	कुल कोरोना निगेटिव की संख्या	कितने व्यक्तियों की रिपोर्ट आना शेष है।	जनपद में आये विदे"ी यात्रियों की संख्या	विदे"ा से आये व्यक्तियों की संख्या जो ट्रेस नहीं हो सके।	अन्य राज्यों एवं प्रदे"ा के अन्य जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या,जिन्हें होम कोरेन्टाइन किया गया है	विभागीय कोरोन्टाइन की संख्या	जनपद में कुल कंटेनमेन्ट जोन क्षेत्र की संख्या
273	Yes	14323	223	63	160	12783	1317	627	06	1078	22	32

नोट– 1– कोविड–19 महामारी के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में 32 क्षेत्रों में कंटेनमेंट एंरिया बनायें गये है।

2– श्री कुलदीप अवस्थी(वकील) बार एसोसियेशन परिसर में न्यायिक कार्यो से सम्बन्धित कार्य करते है शासनादेश संख्या 1382/2020/सी एक्स–3 दिनांक 31 मई 2020 के अनुपालन में बिन्दु संख्या 1–ऐसे स्थानो पर जहॉ सकिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संकमण के प्रसार को रोकने के उददेश्य से सैनीटाइजेशन निंसकमित करने हेतु 24 घण्टो के लिये ततकाल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा । कोविड–19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनीटाइजेशन निसंकमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनो के अध्यासियों के द्वारा वहन किया जायेगा। बिन्दु संख्या 2– ऐसे भवनो परिसरो को पूर्ण रूप से सैनीटाइजेशन निसंकमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 1324/सेक–पॉच–5–2020 दिनांक 23 जून 2020 के अनुपालन में. कन्टेनमैन्ट जोन सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या तथा टीमों का निर्धारण बिन्दु संख्या 2.1 कन्टेनमैन्ट जोन का निर्धारण । बिन्दु संख्या 2.1.1 शहरी क्षेत्र । बिन्दु संख्या 2.1.1.ए– किसी क्षेत्र में सिंगल केस होने की स्थिति में प्रत्येक धनात्मक कोविड–19 केस के लिये उस क्षेत्र को केन्द्र मानते हुये 250 मी0 रेडियस क्षेत्र /पूरे मोहल्ले को कन्टेनमैन्ट जोन बनाया जायेगा एक ही घर में एक से अधिक केस होने पर होने पर भी सिंगल केस के समान कन्टेनमैन्ट जोन निर्धारित होगा।

कृपया उक्त के कम में अपने स्तर से निर्णय लेना चाहें।

अपर पुलिस अधीक्षक
पीलीभीत।

अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0)
पीलीभीत।
20/07/2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।

पत्रांक संख्याः– मु0चि0अ0/को0वाय–2019/दैनिक सूचना/2020–21/
तददिनांक
प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1–जिला अधिकारी महोदय, पीलीभीत ।

SEEN
I/c District Judge
PILIBHIT
20-07-2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।